न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 09/2017 **RCMS 2017/00023**

प्रार्थीगण

1. रामपाल पुत्र खेताराम उम्र 72 वर्ष
2. सुवाराम पुत्र भंवरलाल उम्र 65 वर्ष
3. दानाराम पुत्र भंवरलाल उम्र 52 वर्ष
4. परमाराम पुत्र भंवरलाल उम्र 46 वर्ष जाति समस्त जाट निवासियान मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी, जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनॉक 6/9/2023

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सिडियास पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान की राजस्व सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 271 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 272 रकबा 3.49 हैक्टर प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है, सिडियास गत बन्दोबस्त में पलाड़ा का ही भाग था, प्रार्थीगण की कृषि भूमि के दक्षिणी तरफ द्वितीय भू–प्रबन्ध के अनुसार रास्ता गुजरता है जिसके खसरा नम्बर 281 है। ग्राम सिडियास का प्रथम सेटलमेंट (गत बन्दोबस्त) सम्वत् 2008–10 में हआ उस समय ग्राम सिडियास का नक्शा ट्रेस तैयार किया गया था, गत बन्दोबस्त के समय प्रार्थीगण के वर्तमान खातेदारी के खसरा नम्बर 271, 272 के गत खसरा नम्बर 77 व 78 थे एवं रास्ते के गत खसरा नम्बर 83 थे तथा तत्पश्चात् तैयार किये गये नक्शा व खतौनी में उसी अनुसार खसरा नम्बर अंकित किये गये थे, गत बन्दोबस्त के दौरान तैयार किये गये नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ प्रस्तुत की गई है, वर्ष 1986 में तहसील नावां में द्वितीय सेटलमेंट किया गया,उस वक्त सेटलमेंट अधिकारियों ने मौके पर स्थित रास्ते को नक्शे में तरमीम करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति एवं गत बन्दोबस्त में दर्शाये गये रास्ते को परिवर्तित कर दिया जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था, रास्ता गत बन्दोबस्त में दर्शाये गये अनुसार ही चल रहा है, उक्त परिवर्तन के कारण मौके पर प्रार्थीगण की खातेदारी का रकबा कम हो गया जबकि राजस्व रेकर्ड में रकबा पूर्वतः अंकित है, द्वितीय भू–प्रबन्ध सन् 1986 के नक्शे में गलत इन्द्राज करने से प्रार्थीगण के हित पूर्णतः प्रभावित हो रहे है इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कारण प्रार्थीगण द्वितीय सेटलमेंट के दौरान की गई भूल को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नक्शे में रास्ते के सम्बन्ध में की गई भूल गत बन्दोबस्त के नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया होती है, तहसील नावां (कुचामन) का सेटलमेंट ऑपरेशन समाप्त हो चुका है इस कारण सेटलमेंट में रही भूल को दुरूस्त करने का माननीय न्यायालय में अधिकार निहित है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम सिडियास की राजस्व सीमा में स्थित रास्ता वर्तमान खसरा नम्बर 281 का नक्शे में गत बन्दोबस्त में दर्शित रास्ता खसरा नम्बर 83 के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में किये जाने का आदेश फरमावें एवं एक तहरीर अप्रार्थी को जारी फरमाई जावें कि माफिक आदेश राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद फरमावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी ने कथन किया है कि ग्राम सिड़ियास के नवीन खसरा नम्बर 271, 272 कुल रकबा 3.52 हैक्टर जमाबंदी अनुसार पूसा पुत्र गुमाना 1/4, मगनाराम बोदूरराम उमाराम पि. हरजीराम मोहनी देवी पत्नि हरजीराम 1/4, भंवरलाल रामपाल पि. खेताराम 1/4, मूनाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट सा. देह रामपाल पुत्र खेताराम जाति जाट सा. मण्डावरा 1/4 खातेदार के नाम अंकित है।, ग्राम सिडियास के नये खसरा नम्बर 271, 272 कुल रकबा 3.52 हैक्टर के मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 77, 78, 76/1, 79 मी. का रकबा भी 3.52 हैक्टर सही है, प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अनुसार नवीन खसरा नमबर 281 के गत खसरा नम्बर 83 होना बताया है मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 अनुसार गत खसरा नम्बर 83 का रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा (0.35 हैक्टर) है। नवीन बंदोबस्त (1986) की मिसल बंदोबस्त के मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 83 का नवीन खसरा नम्बर 280 रकबा 0.01 हैक्टर है शेष रकबा 0.34 हैक्टर का कही उल्लेख नही है तथा न ही कहीं कमी–बेशी का उल्लेख है, ग्राम सिड़ियास के गत नक्शे व वर्तमान नक्शे अनुसार भी मौका स्थिति का मिलान नही होना पाया गया है, नक्शे व मौके का सही मिलान नही होने के कारण इसकी सही व वास्तविक स्थिति की जानकारी भू–प्रबन्ध विभाग से लिया जाना उचित होगा।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है, अप्रार्थी राजकीय पैरोकार ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2071–2074 ग्राम सिडियास के खाता सं. 01 में खसरा नम्बर 281 रकबा 0.15 हैक्टर गै.मु.रास्ता दर्ज है तथा खसरा नम्बर 271, 272 रकबा 3.52 हैक्टर में प्रार्थीगण अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज है। नक्शा ट्रेस गत खसरा नम्बर 83 वगैरह एवं नक्शा ट्रेस नवीन खसरा नम्बर 271, 272 का मिलान किय गया, जिनकी आकृति में किसी प्रकार का अन्तर नजर नही आ रहा है। जमाबंदी नकल सम्वत 2012–2015 ग्राम सिडियास के खसरा नम्बर 83 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा गै.मु.रास्ता राजकीय भूमि खाता सं. 01 कृषि अयोग्य व चराई अयोग्य दर्ज चली आ रही है। खसरा नम्बर 77 रकबा 4 बिस्वा गै.मु. , खसरा नम्बर 78 रकबा 37 बीघा 2 बिस्वा चाही अव्वल माईन्स कुल रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा में गुमाना वल्द नुन्दा जा. 1/4 अमजी वल्द अर्जुनसिंह 1/8 हरजी वल्द जीवा 1/4 विजयसिंह वल्द अर्जुनसिंह 1/8 खेतिया वल्द भैरू जाट सा. देह 1/4 खातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05.47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जमाबंदी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम सिडियास के खाता सं. 35 खसरा नम्बर 271, 272 कुल रकबा 3.52 हैक्टर खाते की स्थिति निम्नवत है :–

ग्राम का नाम :- सिडीयास	अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- पलाड़ा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- मण्डावरा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 35
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 40

काश्तकार का नाम:-

1. उमाराम पुत्र हरजीराम हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार
2. गणपतराम पुत्र पुसाराम हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा NAWA CITY, RAJASTHAN

3. गोरादेवी पुत्री मूनाराम हिस्सा- 1/24 जाति- जाट सा. देह खातेदार
4. देवाराम पुत्र मूनाराम हिस्सा- 1/24 जाति- जाट सा. देह खातेदार
5. दानाराम पुत्र भंवरलाल हिस्सा- 1/24 जाति- जाट सा. देह खातेदार
6. नन्दुदेवी पुत्री मूनाराम हिस्सा- 1/24 जाति- जाट सा. देह खातेदार
7. परमाराम पुत्र भंवरलाल हिस्सा- 1/24 जाति- जाट सा. देह खातेदार
8. बोदुराम पुत्र हरजीराम हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार
9. भंवरलाल पुत्र पुसाराम हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार

राहिन हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा NAWA CITY, RAJASTHAN

10. मगनाराम पुत्र हरजीराम हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार
11. मोहनीदेवी पत्नि हरजीराम हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार
12. रामपाल पुत्र खेताराम हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार
13. रामपाल पुत्र खेताराम, हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. मण्डावरा खातेदार
14. सुवाराम पुत्र भंवरलाल हिस्सा- 1/24 जाति- जाट सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
271	0.0300	गै.मु.कुँआ	0.0300			स्वीक्रत नामांतरकरण : 177 07/09/2018 विरासत	
272	3.4900	चाही 1	1.1000	46.20	चा.न. 271	स्वीक्रत नामांतरकरण : 178 03/01/2019 हकत्याग	
		जाव 1	2.3900	50.19	चा.न. 271	स्वीक्रत नामांतरकरण : 189 07/03/2019 रहननामा	
						स्वीक्रत नामांतरकरण : 245 22/12/2021 विरासत	
						स्वीक्रत नामांतरकरण : 276 07/02/2023 विरासत	
कुल खसरे - 2	3.5200		3.5200	96.3900			

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:47 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त जमाबंदी नकल अनुसार प्रार्थीगण/खातेदार 14 दर्ज चले आ रहे है जबकि प्रार्थना–पत्र केवल मात्र 4 खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है शेष खातेदारान को प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

एवं अप्रार्थी पक्षकार नही बनाया गया है तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी गत खसरा नम्बर 83 का शेष रकबा 0.34 हैक्टर का कही उल्लेख नही है तथा न ही कही कमी–बेशी का उल्लेख है। नक्शे व मौके का सही मिलान नही होने के कारण उसकी सही व वास्तविक स्थिति की जानकारी भू–प्रबंध विभाग से लिया जाना उचित बताया है। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्थिति साफ जाहिर है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र किसी भी दृष्टि से साबित नही है। अतः प्रार्थना–प्रार्थी काबिल खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 06/9/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:47 IST
Reason: SelfAttested